

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम २६)

नय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

..... शशीका कर्मा बनाम जगपाल कर्मा

दमा दावा मुकदमा नं. **FT 4** ... सन् २०१८

2018

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
18	<p>वकील वादी गण श्री चमरेन्द्र कुमार शर्मा ने दावा किया कि वे 21-2-18 को पत्रावली पेश की।</p> <p>21-2-18</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. अतुपरियता/अनुपरियता अधिकारी को पत्रावली पेश करने के लिए 28-3-18 को पत्रावली पेश की।</p> <p>28 ³/₁₈</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उप./अनुपरियता/अनुपरियता अधिकारी को पत्रावली पेश करने के लिए 2-5-18 को पत्रावली पेश की।</p> <p>2 ⁵/₁₈</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उप./अनुपरियता/अनुपरियता अधिकारी को पत्रावली पेश करने के लिए 29-5-18 को पत्रावली पेश की।</p> <p>29 ⁰⁵/₁₈</p> <p>पत्रावली आज राजस्व लोक उदयलत अभियान : न्याय आपके द्वार - 2018 के तहत अटल सेवा केंद्र गौविन्दपुरा में पेश हुई। वादी ने निम्न तारीख से पूर्व</p>	<p>(5-7) 18-1-18</p>

हामि रौका प्रकाण को विद्रा लने वाबत
 प्रबना पर पेश किया। प्रबना पर में
 अंकित किया कि वादी व प्रतिवादी के
 मध्य संपीनाया हो चुका है। पत्रकारान
 प्रकाण को और आगे चलाना नहीं
 चाहते हैं तथा न्यायालय से कोई कार्यवाही नहीं
 चाहते हैं अतः दावा विद्रा की अनुमति
 प्रदान करें। वादी का ज. परा स्वीकार
 का दावा विद्रा की अनुमति प्रदान की
 जाती है। प्रकाण में आगे कोई कार्यवाही
 अपेक्षित नहीं है। कार्यवाही प्रकाण इली लर
 पर drop किया जावे। पत्रावती केसल
 शमार होकर तम्बर से कम हो तथा
 खाद तलमील दाखिल दफतर हो निष्पति
 मजमें काम सुनाया गया।



नागीरथ शीख
 (RAS)
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेन्द्रा